भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3826

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

शाह आयोग का प्रतिवेदन

†3826. श्रीमती मालविका देवी:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा में खनन के संबंध में शाह आयोग द्वारा की गई जांच के परिणामों और निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा राज्य के कितने खान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है और इन कंपनियों और खान मालिकों के नाम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शाह आयोग के प्रतिवेदन में सूचीबद्ध किए गए गैर-कानूनी कार्य करने वालों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): केंद्र सरकार ने दिनांक 22.11.2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2817 (अ) के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या अवैध खनन के संदर्भ में उसके तहत जारी अन्य नियमों या अनुज्ञप्तियों या दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के अवैध खनन की जांच करने के प्रयोजनार्थ न्यायमूर्ति एम.बी. शाह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया। माननीय न्यायमूर्ति एम.बी. शाह आयोग ने खान मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बाद में संसद में प्रस्तुत किया गया। आयोग ने अवैध खनन के कई उदाहरणों का अवलोकन किया है और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की है। शाह जांच आयोग की रिपोर्ट खान मंत्रालय की वेबसाइट यूआरएल [https://mines.gov.in] पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग): ओडिशा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2017 के निर्णय के अनुसरण में, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा यथा अभिचिह्नित वर्ष 2000-01 से 2009-10 की अवधि के दौरान पर्यावरण मंजूरी (ईसी) और वन मंजूरी (एफसी) के परे/बिना खनन पट्टाधारकों द्वारा खनिज के अवैध उत्पादन हेतु प्रतिपूर्ति की पुनर्प्राप्ति (एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के प्रावधान के तहत लौह और मैंगनीज जैसे खनिजों का मूल्य) के लिए मांग नोटिस जारी किए गए। राज्य सरकार द्वारा आज तक 15561.19 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राशि संगृहीत की गई है।

*****